

मध्य प्रदेश शासन
रकूल शिक्षा विभाग
गंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 711 /833/2019/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 01/2/2019

सचिव
सी0बी0एस0ई0
वई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को री0बी0एस0ई0 वई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
आवापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् व्यारा अशासकीय संस्था-आईटीएम० ग्लोबल स्कूल
ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, म०प्र० को सी0बी0एस0ई0 वई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु आवापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता
है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
गाव्यता वियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश
के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल राके इस हेतु रांस्था की
कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी
को नामांकित किया जाये।
- (3) संस्थां की प्रबंध कारिणी समिति में म०प्र० शासन, रकूल शिक्षा विभाग
का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य
होगा।
- (4) रांस्था व्यारा प्रवेश संबंधी वियग प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-यथा प्रमाण
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (5) रांस्था विभिन्न आवस्थों पर छात्रों के आयोजित होने वाले रांख़ातेक एवं
छोलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये छोल
का दैदान, छात्रावारा भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु रांस्था से वचन पत्र लिखा जाये।
- (6) रांस्था व्यारा प्रदेश के छोल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान
मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की
जायेगी।

०५

निरन्तर...2

- (7) बिःशक्त छात्रों के लिये रांथा को ऐमप की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। रांथा बिःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। हरा संबंध गें प्राप्त शिकायत यदि हिन्दू पाई गई तो रांथा का अनापत्ति प्रमाण पत्र रामाप्त करने की जाएगी।
 - (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं गें लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्य करने की सुविधा रहेगी। किरणी दुकान विशेष से क्य करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
 - (9) संरथा के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा ची गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किरणी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से रांचालित नहीं किया जायेगा।
 - (10) शिक्षण रांथा में मान० उच्चताग व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अचिन-शगार यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध गें भारत रारकार द्वारा शैक्षणिक रांथाओं के संबंध गें समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
 - (11) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में रकूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
 - (12) संरथा के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत रारकार एवं गण्डाप्रदेश शासन द्वारा प्रतिवंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।
 - (13) रांथा के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संरथा का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

०५/११/१५
(के०के०द्विवेदी)

उप सचिव

ग०प्र०शासन, रकूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक-७१२ /८३३/२०१९/२०-३
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दि० १२/९/२०१९

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, ग०प्र० भोपाल।

विरच्नित...3

- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा अण्डल, म0प्र0 भोपाल।
 (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग , म0प्र0
 (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-गवालियर, म0प्र0
 (5) निज सहायक, मान0 जंजी, रकूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-आईटीएम0 ग्लोबल रकूल गवालियर,
 जिला-गवालियर, म0प्र0
 (7) फोल्डर प्रति
 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Quo
1/1/15
उप सचिव
म0प्र0शासन, रकूल शिक्षा विभाग